राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 16/2021

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

प्रार्थी :–

1. वालााराम पुत्र केसाराम उम्र वयस्क जाति–मेघवंशी
   निवासी–जुणा , तहसील–देसूरी जिला–पाली राज0

बनाम

अप्रार्थी :–

1. ओटाराम पुत्र जेठाराम जाति–मेघवाल
   निवासी–भादरास ,तहसील–देसूरी, जिला–पाली राज0
2. तहसीलदार देसूरी वास्ते राज.सरकार(भूमिधारी)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री भरत जे. राठौड अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी 01 की ओर से।
3. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ मौजा ग्राम–सादडी चक द्वितीय के खाता संख्या नया 656 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थी की जमांबदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 31 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सादडी चक द्वितीय नम्बर 6140 रकबा 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिए(रास्ते की भूमि) रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6139 रकबा 0.4200 हेक्टर में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधि[illegible]रलाल मीणा ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल [illegible] (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट [illegible] के पत्रांक/कोर्ट/2022/157 दिनांक 12.04.2022 एवं पत्रांक/कोर्ट/2022/256 [illegible] 15.06.2022 को [illegible]। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 11.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ जिसे शामिल पत्रावली किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

4— अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि खसरा नम्बर 6140 रकबा 0.8100 हैक्टर में आने—जाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ रास्ता विद्यमान है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे स्पष्ट दर्शित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की जमीन हडपने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 6139 के दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी के द्वारा अवाला व अप्रार्थी के आने—जाने का रास्ता बनाया हुआ है। राजीनामें के अनुसार उसी रास्ते से होकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। अगर प्रार्थी को रास्ते में जितनी भूमि दी जाये उसकी दो गुना कृषि भूमि अपनी खातेदारी में से अप्रार्थी को देने को तैयार हो तो रास्ता दिया जा सकता है अन्यथा प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि के पूर्व में नक्शे में दर्शित अनुसार रास्ते का उपयोग—उपभोग करें। धारा 251ए के तहत वो ही प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होता है जिसमें खातेदारी भूमि में कंही से भी आने—जाने का रास्ता विद्यमान नहीं हो जबकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 6140 के पूर्व दिशा में रास्ता मौजूद है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

5— अप्रार्थी सख्या 02(भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/22/1139 दिनांक 11.07.2022 के जरिये पटवार हल्का सादडी चक द्वितीय भू—अभिलेख निरीक्षक सादडी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम सादडी चक द्वितीय की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 6140 में आवगमन हेतु मुख्य रास्ते के खसरा नम्बर 6072 किस्म गे. मु रास्ता तक रास्ते के लिए पडौस स्थित खसरा नम्बर 6139 मे से उत्तरी माठ के सहारे—सहारे रास्ते की मांग की है।
2. यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मुख्य रास्ते से सबसे नजदीकी रास्ता है। मौके पर कदीमी रास्ता भी इसी प्रस्तावित जगह पर था तथा इस प्रस्तावित रास्ते के बीच किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर ख.न. 6139 हेक्टर में से 151 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौडा रास्ता कुल क्षेत्रफल **151x15** = 2265 वर्गफीट रास्ता दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि **151x15** = 2265 वर्गफीट की पंजीयन बाजार दर डी.एल.सी. की दोगुणा भूमि किमत अक्षरे 132390/— रूपये बनती है।

6— बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6140 में आवागमन हेतु पडौस स्थित खसरा नम्बर 6139 में से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया एवं कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु [illegible] वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता [illegible] किया कि प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी की भूमि हडपने की नियत से रास्ते की मांग [illegible]। जबकि प्रार्थी के कृषि भूमि के पूर्व की तरफ रास्ता विद्यमान है। अतः प्रार्थी ने गल[illegible] रूप से प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ते की मांग की है जो गलत है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:48 IST
Reason: Self Attested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 16/2021 अनवान वालाराम बनाम ओटाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.

7– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी में से ही है मौके पर कदीमी रास्ता भी इसी प्रस्तावित जगह पर था एवं उक्त रास्ता मुख्य रास्ते के सबसे नजदीकी रास्ता है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया गया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6140 रकबा 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6139 रकबा 0.4200 हेक्टर में से 151 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौडा रास्ता यानि 151 x 15 = 2265 वर्गफीट रास्ता उत्तरी माठ के सहारे–सहारे दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 1,32,390/– रूपये का अनुदान भुगतान अप्रार्थी संख्या 01 को करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 151 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौडे कुल रकबा 151 x 15 = 2265 वर्गफीट रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी.दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दोगुणा राशि अनुदान रूपये 1,32,390/– रू. प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को दिलवाया जावे। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम सादडी 2 के खसरा नम्बर 6140 रकबा 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6139 रकबा 0.4200 हेक्टर में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 151 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौडा कुल रकबा 151 x 15 = 2265 वर्गफीट रास्ता दिया जाकर एवं राशि अप्रार्थी संख्या 01 को सुपुर्द होने के बाद रास्ते का रिकॉर्ड में अमल दरामद करें व नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ......30/9/2022...... को ... कर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)